न्यायालय सहायक कलक्टर,भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः– डॉ. सौम्या झा, आई0ए0एस0 (प्रशिक्षु)

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 सीपीसी व आदेश 02 नियम 02 व आदेश 07 नियम 11(डी) जा.दी. वसिलसिले मु0नं0 102/2014 हरभजन बनाम शांति वगैरह अन्तर्गत 88–89–188 आर.टी.ए.

आदेश

दिनांकः–

08–04–2019

प्रार्थी/प्रतिवादी राधेश्याम पुत्र भोला जाति बघेल निवासी जघीना ऑयल डिपो भरतपुर द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 सीपीसी व आदेश 02 नियम 02 व आदेश 07 नियम 11 (डी.) जा0दी0 दिनांक 02.08.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि न्यायालय में उनवानी दावा वादी ने इस आधार पर पेश किया है कि वाके ग्राम जघीना नंबर 1 तहसील भरतपुर स्थित खसरा नंबर 931/0.19, 910/0.21 में बंदोबस्त विभाग द्वारा प्रतिवादीगण असल के नाम कर दिया है। जिनको कलमजन कर वादी व प्रतिवादीगण असल व प्रतिवादी–गण तरतीवी मुताबिक मद सं0 1 खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, लेकिन वादी के यह समस्त कथन असत्य हैं व वादी ने तथ्यों को छुपाकर यह दावा प्रतिवादीगण असल जान–बूझकर पेश किया है।

सही तथ्य यह है कि खसरा नंबर 931 व 910 वाके ग्राम जघीना नंबर 1 इजराय डिक्री दिनांक 16.04.1990 क्रम सं0 506 न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर प्रथम के आदेश से नामान्तरकरण सं0 49 दि0 31.05.1990 से प्रतिवादीगण असल के खातेदारी इन्द्राज हुए हैं।

इस प्रकार इस नामान्तरकरण से यह तथ्य निर्विवाद रूप से साबित है कि उपरोक्त खसरा नंबर बंदोबस्त विभाग द्वारा

Web Copy - Not Official

प्रतिवादीगण के नाम नहीं किये गये हैं, बल्कि सक्षम अधिकारी के आदेश से प्रतिवादीगण असल की खातेदारी में आये हैं। अर्थात उक्त खसरा नंबरान की बावत पूर्व में दावा न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर में हो चुका है। इसके फलस्वरूप प्रतिवादीगण असल का राजस्व रिकार्ड में अंकन हुआ है अर्थात पक्षकारों के मध्य समान विषयवस्तु को लेकर पूर्व में दावा का निस्तारण अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। इस कारण वादी का दावा पूर्व न्यायालय के सिद्धान्त से ग्रसित होने से धारा 11 सीपीसी से बाधित होने से काबिल खारिजी के है व आदेश 02 नियम 02 सीपीसी बाधित होने से काबिल खारिज के है।

इस प्रकार प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर दावा वादी धारा 11 सीपीसी व आदेश 07 नियम 11 (डी) सीपीसी व आदेश 02 नियम 02 सीपीसी से बाधित होने के कारण खारिज किया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में अप्रार्थी/वादी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि तथाकथित दावा व डिक्री वादी की जानकारी में नहीं है और जब कोई दावा डिक्री आदेश वादी की जानकारी में नहीं है तो फिर वादी पर वह लागू नहीं हो सकते। तथाकथित दावा डिक्री व आदेश जिसमें वादी द्वारा अपना कोई भी पक्ष रखा ही नही गया हो वह वादी पर लागू नहीं हो सकता। धारा 11 सीपीसी में केवल वही मुकदमा आते हैं जिनमें समान विवादवस्तु एवं समान पक्षकार हों। दावा प्रतिवादीगण द्वारा किसके विरुद्ध पेश किया और उसमें कौन कौन पक्षकार थे, की आवत अंकन नहीं किया गया। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के विशेष कथन में अंकित किया है कि धारा 11 सीपीसी में वर्णित ''पूर्व न्याय का सिद्धान्त'' उन व्यक्तियों पर लागू होता है जहां एक ही वाद वस्तु तथा एक ही विवाद बिंदु और समान वाद कारण में

Web Copy Not Official

समान पक्षकार के मध्य अंतिम रूप से सभी पक्षकारान को सुनकर निर्णित किया जा चुका हो, तो पूर्व न्याय (रेस्जूडिकेटा) का सिद्धान्त लागू होता है और वह आदेश 07 नियम 11 सीपीसी की परिधि में नहीं आता। प्रस्तुत दावा का विवाद बिंदु वादी के अधिकारों की बावत कहीं भी निर्णित नहीं हुआ है। पूर्व न्याय का सिद्धान्त इस प्रकार लागू नहीं होता है। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 931 व 910 ग्राम जघीना नं0 1 की बावत न्यायालय सहायक कलक्टर प्रथम भरतपुर के इजराय डिक्री दिनांक 16.04.1990 क्र.सं0 506 से नामान्तरकरण सं0 49 दिनांक 31.05.1990 से प्रतिवादीगण असल के इन्द्राज आराजी पर आए हैं। बंदोबस्त विभाग ने इन्द्राज नहीं किये हैं बल्कि पूर्व में न्यायालय के निर्णय द्वारा इन्द्राज आये हैं। दौराने बहस प्रतिवादी द्वारा नामान्तरकरण सं0 49 दि0 31.05.1990 की फोटोप्रति न्यायालय में पेश की है। वादी द्वारा दौराने बहस यह कहा है कि धारा 11 सीपीसी से प्रकरण बाधित नहीं है। धारा 11 प्रकरण पर लागू नहीं है। वादपत्र धारा 11 सीपीसी के आधार पर खारिज योग्य नहीं है। हमने प्रतिवादी द्वारा पेश नामांतरकरण सं0 49 दि0 31.05.1990 का अवलोकन किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नामांतरकरण के कॉलम सं0 14 में इजराय डिक्री दि0 16.04.1990 क्र.सं0 506 न्यायालय ACM - I अंकित है तथा कालम सं0 10 में खसरा नं0 910 भोला पुत्र किरोडी (असल प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 का पति/पिता) व प्रतिवादी सं0 6 टीकम खसरा नंबर 931 पर इन्द्राज किये हुए हैं, जो कि स्पष्ट रूप से राजस्व अभियान कैम्प जघीना मुताबिक निर्णय इजराय डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर महोदय प्रथम क्रमांक 506 दि0 16.04.1990 के नामांतरकरण स्वीकार किया जाता है, के इन्द्राज दर्ज हैं तथा इसी नामांतरकरण से वादी के पिता बदनसिंह पुत्र तोती के इन्द्राज भी अंकित हैं। इस प्रकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त नामांतरकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वादग्रस्त आराजी पर असल प्रतिवादी के इन्द्राज सहायक कलक्टर प्रथम भरतपुर के इजराय डिक्री दि0 16.04.1990 के आधार पर आये हैं। इसका इन्द्राज नामांतरकरण सं0 49 में दर्ज है। स्पष्ट है कि वादग्रस्त खसरा नंबरान पर प्रतिवादीगण असल के इन्द्राज बंदोबस्त विभाग ने नहीं किए बल्कि पूर्व इजराय डिक्री दिनांक 16.04.1990 से आये हैं। जिसमें वादी (वादी का पिता बदनसिंह) व असल प्रतिवादीगण (भोला व टीकम) भी पक्षकार रहे हैं। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी व पक्षकारान मुकदमा के मध्य पूर्व से वाद पूर्व में चला है और अंतिम रूप से विनिश्चित हुआ है। उक्त वादों की विषयवस्तु भी समान है क्योंकि धारा 11 सीपीसी के स्पष्टीकरण सं0 4 में स्पष्ट अंकित किया गया है। इस कारण अब पुनः वादी द्वारा नवीन वादपत्र उपरोक्त आराजी की बावत पेश किया जाना विधि सम्मत नहीं है। वादी का वादपत्र धारा 11 सीपीसी व आदेश 02 नियम 02 सीपीसी से बाधित होने से खारिज योग्य है।

<u>अतः आदेश है कि</u>

प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। दावा वादी धारा 11 सीपीसी व आदेश 02 नियम 02 सीपीसी से बाधित होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 08.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. सौम्या झा)
आई.ए.एस.(प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official